उत्तराखण्ड षासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः /टप्.2.18/123—उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड षासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0—261/टप्.2.14ध्143.उद्योग/2003, दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा निर्गत क्रय वरीयता नीति को अतिक्रमित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त प्रदेष के **सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों तथा प्रदत्त सेवाओं के षासकीय उपापन (च्नइसपब च्तवबनतमउमदज) में निविदा के समय वरीयता दिये जाने** हेतु एतद्द्वारा निम्नवत् सार्वजनिक उपापन नीति निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम एवं आरम्भः**

(क) इस नीति का संक्षिप्त नाम **''प्रदेष के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) के लिए क्रय वरीयता नीति आदेष—2018''** है।

(ख) यह नीति आदेष जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **क्रय वरीयता नीतिः**

(क) यह नीति उन सूक्ष्म व लघु उद्यमों, स्टार्टप्स पर लागू होगी, जिन्होंने राज्य के उद्योग विभाग से लघु उद्योग स्थायी पंजीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम—2006 (डैडम्क ।बज.2006) के अन्तर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग—2 (म्ड.प्) चंतज.प्प्) की अभिस्वीकृति अथवा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से उद्योग आधार प्राप्त किया हो या जिनको औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड स्टार्टअप कॉउसिल से स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता मिली हो।

(ख) यदि सार्वजनिक खरीद में राज्य सरकार या उसके विभागों/संस्थाओं/निकाय/उपक्रमों द्वारा आई.एस.आई., आई.एस.ओ. अथवा अन्य विषेशिकृत उत्पादों को खरीदे जाने की आवष्यकता हो, तो ऐसे उत्पादों के विषिश्टियों एवं मानकों का विवरण निविदा में ही दे दिया जाये, ताकि गुणवत्ता से समझौता किये बिना प्रदेष के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तषिल्प तथा स्टार्टअप्स सहित) से क्रय वरीयता नीति के अनुसार सामग्री का उपापन (च्तवबनतमउमदज) किया जा सके। गुणवत्ता/मानकीकरण को दृश्टिगत् रखते हुए निविदा में सहभागी ऐसे उद्यमों के पास राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत प्रादेषीय/राश्ट्रीय/अन्तर्राश्ट्रीय मानकीकरण संस्थाओं के प्रमाण—पत्र होने आवष्यक हैं। इकाईयों द्वारा उत्पादित उत्पाद की उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता के आंकलन हेतु भारत सरकार द्वारा विनिर्दिश्ट संस्था राश्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (छैप्ब्) में राज्य के निविदादाता आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता उद्यमों को अपना पंजीकरण कराकर उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवष्यक होगा, ताकि निविदा में सहभागी उद्यमों की उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का आंकलन सुनिष्चित हो सके।

(ग) क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत अधिप्राप्ति व्यवहारों एवं आदेषों का पालन करते हुए निश्पक्ष, समान, पारदर्षी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखते हुए नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(घ) क्रय वरीयता से तात्पर्य गुणवत्ता से समझौता किये बिना प्रदेष की सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तषिल्प, स्टार्टप्स सहित) को प्रदेष की मध्यम व बृहत तथा प्रदेष से बाहर की सभी श्रेणियों के उद्यमों की तुलना में दी जाने वाली वरीयता से होगा, बषर्ते कि ऐसी इकाई द्वारा निविदा में दी गई दरें न्यूनतम दर (रू) से अधिकतम 10 प्रतिषत सीमा के अन्तर्गत हो। परन्तु राज्य की एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 में वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में अधिकतम सीमा 15 प्रतिषत होगी।

(ङ) निविदा में प्रदेष की सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तषिल्प व स्टार्टप्स सहित) जिसने रू+10 प्रतिषत (श्रेणी ए व बी के वर्गीकृत जनपदों/क्षेत्रों में रू+15 प्रतिषत) मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है, और उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां रू मूल्य प्रदेष के सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तषिल्प व स्टार्टप्स सहित) के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को रू मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेष दिये जायेंगे। ऐसे एक से अधिक प्रदेष के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) के मामले में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से (निविदा की गई मात्रा तक) बांटा जायेगा।

(च) जहां पर निविदा में प्रदेष के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) के अतिरिक्त प्रदेष के मध्यम व बृहत तथा प्रदेष से बाहर के सभी श्रेणी के उद्यम सहभागी हों और उनके द्वारा निविदा में दी गयी दर न्यूनतम (रू) हो, वहां पर निविदा में अंकित सामग्री की कुल मात्रा की 50 प्रतिषत आपूर्ति प्रदेष के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) से प्रस्तर–(ङ) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार की जायेगी और अवषेश 50 प्रतिषत की आपूर्ति निविदा में न्यूनतम दर (रू) देने वाले निविदादाता से की जायेगी।

(छ) निविदा में दरों की तुलना कर सहित एफ.ओ.आर. डेस्टिनेषन के आधार पर की जायेगी।

3. **अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले प्रदेष के सूक्ष्म व लघु उद्यम (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) के लिए विषेश उपबंध–** प्रदेष के सूक्ष्म व लघु उद्यम (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) से उपापन के लिए निर्धारित 50 प्रतिषत में से, 20 प्रतिषत अर्थात कुल उपापन का 10 प्रतिषत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों से सामग्री का उपापन किया जाना आवष्यक होगा। परन्तु, ऐसे उद्यमों के निविदा प्रकिया में भाग लेने या निविदा की अपेक्षाओं को पूरा करने और रू मूल्य तक पहुँचने में असफल रहने की दषा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों से खरीद के लिए चिन्हित 10 प्रतिषत का उप–लक्ष्य प्रदेष के अन्य सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) से पूरा करना होगा।

4. **विनिर्माणक/सेवा प्रदाता आपूर्तिकर्ता उद्यमों का पंजीकरण–**

(1) सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए विष्वसनीय अधिप्राप्ति के श्रोतों को स्थापित करने हेतु सामग्रीवार पात्र एवं सक्षम विनिर्माणक/सेवा प्रदाता आपूर्तिकर्ता उद्यमों का उद्योग निदेषालय स्तर पर पंजीकरण किया जाएगा। इस प्रकार के पंजीकृत उद्यमों को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता कहा जाएगा।

(2) विनिर्माणक तथा सेवा प्रदाता आपूर्तिकर्ता उद्यमों को पंजीकृत करने से पूर्व उनकी आम ख्याति/पृश्ठभूमि, विनिर्माण/सेवा प्रदाता क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, आदि का भी सर्तकता से सत्यापन किया जाए।

(3) उद्यमों का पंजीकरण सामग्री की प्रकृति के आधार पर निर्धारित अवधि (1 वर्श से 3 वर्श तक) के लिए किया जाएगा। इस निष्चित अवधि के बाद उद्यमों को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

(4) नीति के अन्तर्गत ऐसे उद्यमों के पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप, प्रक्रिया व दिषा निर्देष महानिदेषक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

(5) यदि कोई पंजीकृत उद्यम पंजीकरण की षर्तों का अनुपालन करने अथवा सामग्री की समय से आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करता है अथवा गलत घोशणा/तथ्य प्रस्तुत करता है तो उस उद्यम को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की सूची से हटा दिया जाएगा।

5. **संव्यवहार लागत में कमी–** व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए प्रदेष के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) को किसी लागत के बिना निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराके, अग्रिम धन के भुगतान से छूट देकर, निविदा प्रक्रिया में पारदर्षिता लाने के लिये ई–उपापन अपनाया जायेगा।

6. निविदाओं में औसत सालाना टर्नओवर (।अमतंहम ।ददनंस ज्नतदवअमत) एवं विनिर्माण अनुभव/आपूर्ति की मात्रा, परिचालन अनुभव/प्रदर्षन प्रमाण–पत्र (डंदनबिजनतपदह म्गचमतपमदबमध ैनचचसपमक फनंदजपजलए व्चमतंजपवदंस म्गचमतपमदबमध च्मतवितउंदबम ब्मतजपपिबंजम) की पूर्व षर्त होने के कारण गुणवत्ता के बावजूद प्रदेष के सूक्ष्म व लघु उद्यम (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) निविदा में सहभागिता नहीं कर पाते है। अतः राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) को विपणन में प्रोत्साहन दिये जाने के लिए गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदा में रखी गयी औसत सालाना टर्नओवर, विनिर्माण/सेवा का अनुभव/आपूर्ति की मात्रा, परिचालन अनुभव/प्रदर्षन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की पूर्व अर्हता (च्तमुनंसपपिबंजपवद) में पूर्ण रूप से छूट दी जायेगी। विषेश परिस्थितियों में, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा ऑपरेषन्स और उपकरण जहाँ पर विनिर्माण/सेवा का अनुभव, आपूर्ति की मात्रा व परिचालन का अनुभव/प्रदर्षन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपरिहार्य हो, सालाना टर्नओवर तथा पूर्व अनुभव की षर्त में षिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी।

7. षासकीय क्रय का तात्पर्य उत्तराखण्ड षासन के अधीन समस्त षासकीय विभागों/निगमों/विकास प्राधिकरणों/संस्थानों/निकाय आदि के द्वारा किये जाने वाले सामग्री/सेवाओं के उपापन से होगा।

8. **उपापन के लिए विषिश्ट मदों का आरक्षणः–** विषिश्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में, देष में उद्यमों को एक व्यापक फैलाव को समर्थ बनाने के लिए, राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम/संस्थान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों (अनुबंध–ख) का उपापन जारी रखेगा,

जो उनसे विषिश्ट खरीद के लिए आरक्षित रखा गया है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिसके अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग भी है, के संवर्धन और विकास में मदद मिलेगी।

9. प्रत्येक षासकीय विभाग/संस्थान/उपक्रम/निकाय यह भी सुनिष्चित करेंगे कि प्रत्येक वर्श में कुल सामग्री क्रय का कम से कम 50 प्रतिषत उपापन प्रदेष के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी, हथकरघा, हस्तषिल्प तथा स्टार्टप्स सहित) से किया गया है, किन्तु जहां किसी विभाग/संस्थान/उपक्रम/निकाय की खरीद में वर्श में 2.50 लाख से कम की होती है, वहां पर यह प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

10. क्रय वरीयता नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ळतपमअंदबम त्मकतमेंस डमबीमदपेउ को सुदृढ़ करने हेतु प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड षासन की अध्यक्षता में एक ळतपमअंदबम त्मकतमेंस – त्मअपमू ब्वउउपपजजमम का गठन किया जायेगा। इस समिति में महानिदेषक/आयुक्त उद्योग, निदेषक उद्योग, क्रयकर्ता विभाग/उपक्रम/निकाय/संस्था के विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख दो उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।

11. सभी षासकीय विभाग/उपक्रम/निगम/निकाय/संस्था द्वारा प्रत्येक वर्श उपादान की जाने वाली सामग्री/वस्तु/सेवाओं की अनुमानित आवष्यकताओं की कुल मात्रा, वस्तु/सेवाओं की मदों का विवरण विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्षित कर इसकी सूचना महानिदेषक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि षासकीय उपापन में पारदर्षिता के साथ–साथ प्रदेष के उद्यमों को षासकीय विभाग/उपक्रम/निगम/निकाय/संस्थाओं की वार्शिक खरीद की आवष्यकताओं के बारे में पूर्व से ही सभी सूचनायें प्राप्त हो सकें।

12. यदि उत्तराखण्ड में स्थित सरकारी या गैर सरकारी संस्थायें अथवा उनके द्वारा संचालित इकाइयां सूक्ष्म व लघु उद्यमों की श्रेणी में आती हैं, तो उन पर भी उपरोक्त प्राविधान लागू रहेंगे।

13. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों के तहत सभी सम्बन्धित विभाग सामग्री/सेवाओं का उपापन स्वयं विभागीय प्रतिनिधायन (क्मसमहंजपवद वि च्वूमते) के आधार पर करेंगे।

14. टर्न–की प्रोजैक्ट्स के अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली परियोजनाओं/कार्यों में भी आपूर्तिकर्ता फर्म/क्रियान्वयन संस्था के साथ भी यह षर्त अनिवार्यतः रखी जायेगी कि वह यह सुनिष्चित करेंगे कि कुल क्रय की गयी मात्रा का 50 प्रतिषत उपापन (च्तवबनतमउमदज) प्रदेष के सूक्ष्म व लघु उद्यम (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) से किया जायेगा। सभी फर्म/संस्था सम्बन्धित विभाग/निगम/निकाय/संस्थान को इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध करायेंगे।

15. यह आदेष वित्त विभाग, उत्तराखण्ड षासन से प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किए जा रहे हैं।

(मनीशा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृश्ठांकन संख्याः ध्टप्.2.18ध्143.**उद्योग/2003, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन।

2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड षासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड षासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
5. महानिदेषक/आयुक्त, उद्योग, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेषक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. निदेषक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिश्ट)
उप सचिव।